

दैनिक घटती घटना

www.ghatatighatana.com

ghatatighatana11@gmail.com

अस्विकापुर, वर्ष 19, अंक -119 मंगलवार, 28 फरवरी 2023, पृष्ठ -8 मूल्य 2 रुपये

मूल्य :-2/- पृष्ठ 08

अब अरविंद केजरीवाल के सामने आई कई चुनौतियाँ

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल सरकार के सामने कई चुनौतियाँ हैं। सत्येंद्र जैन के बाद दिल्ली सरकार के दूसरे बड़े मंत्री की गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय की जिम्मेदारी है।

+ सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से उनके छह मंत्रालय भी इन्हीं के पास हैं। सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के लाभाग सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं।

दिल्ली की राजड़ एवं न्यू अदालत ने सिसोदिया को दिल्ली अधिकारी नीति (2021-22) घोटाला मामले में पाच दिन यानी चार मार्च तक सीधीआई रिपोर्ट पर भेज दिया है। सिसोदिया को अब अरविंद केजरीवाल के सबसे भरपरसेवन नेता है। चुनौती वे हैं कि दिल्ली का अब बजट भी पेश होने वाला है।

दिल्ली का बजट होना है पैश

अरविंद के जरीवाल के सामने

कहा कि आगे की जांच के लिए रिमांड जरूरी है।

ये विभाग हैं

सिसोदिया के पास

इनमें शिशा, वित्त, योजना, भूमि और सेवाएं, पर्यटन, कला-संस्कृति और भाषा, जगरूकता, श्रम और रोजगार, लोक नियांत्रिता के अलावा स्वास्थ्य, उद्योग, विजली, गृह, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण व जल विभाग शामिल हैं। यह बह समय भी है, जब सरकार आगामी वित्त बजट की तैयारी कर रही है। ऐसे में वित्त विभाग की जिम्मेदारी बह जाती है।

सिसोदिया के पास सरकार के सभी बड़े मंत्रालय उन्हीं के पास हैं। सिसोदिया सीएम के जरीवाल के सबसे भरपरसेवन नेता है। चुनौती वे हैं कि दिल्ली का अब बजट भी पेश होने वाला है।

दिल्ली का बजट होना है पैश

अरविंद के जरीवाल के सामने

दिल्ली सरकार के बनाने के बाद से ये सबसे चुनौती सामने लग रही है। दिल्ली में कुछ दिनों बाद ही बजट पेश होना है। दिल्ली के वित्त विभाग के पास ही वित्त मंत्रालय है। यह बह समय भी है, जब सरकार आगामी वित्त बजट की तैयारी कर रही है। ऐसे में वित्त विभाग



कौन पेश करेगा दिल्ली का बजट?

सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब यह सबल खड़ा हो गया है कि उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली का बजट कौन पेश करेगा। अब तक की योजना के अनुसार, बजट सत्र 13 या 14 मार्च से शुरू किया जाना था। अभी बजट बनाने का काम चल रहा है। सभी विभाग बजट में अपें-अपें धनराश की मांग रख रहे हैं, जिन्हें समायोजित कर

सोनिया गांधी से लेकर मनीष सिसोदिया तक सीधीआई और ईडी के निशाने पर आए विपक्षी नेता



गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, हिन्दू धर्म कोई धर्म नहीं, जीवन जीने का तरीका है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को



खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी आकर्षणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक अत्योग्य नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को



खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी आकर्षणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक अत्योग्य नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को



खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी आकर्षणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक अत्योग्य नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को




खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी आकर्षणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक अत्योग्य नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को




खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी आकर्षणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक अत्योग्य नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को




खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी आकर्षणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक अत्योग्य नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को



खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी आकर्षणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक अत्योग्य नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को




खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी आकर्षणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक अत्योग्य नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को



खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी आकर्षणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक अत्योग्य नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को



खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी आकर्षणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक अत्योग्य नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को



खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी आकर्षणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक अत्योग्य नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को

खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी आकर्षणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक अत्योग्य नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को

खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी आकर्षणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक अत्योग्य नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को

खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी आकर्षणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक अत्योग्य नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को

फॉरेस्ट के जमीन से पथर खोद कर ले जा रहे पोड़ी के क्रेशर संचालक चढ़ा रहे हैं हरे भरे पेड़ों की भी बलि हो रहा है रहा है जंगल का सफाया


वन परिषेत्र के अधिकारी एवं कर्मचारी आखिर क्यों मेहरबान हैं खुलेआम दे रखा है संरक्षण

- राजेन्द्र शर्मा-

खडगवा, 27 फरवरी 2023

(घट्टी-घट्टा)

पोड़ी वन परिषेत्र के अधिकारी एवं कर्मचारी के साठ गठ से जंगल में चल रहा अवैध पथर की खुदाई व ढुलाई, का कार्य धड़के जारी है गंगापुर सागरपुर बड़े सालहीं बैमा लोटाबहा में हो रहे अवैध पथर खोदाई का वन अमले ने दे रखा है मौन सहमति पोड़ी बचरा वन क्षेत्र में अवैध पथर खोदाई ढुलाई, खुले आम जारी है जंगलों से बड़े पैमाणे पर अवैध पथर की खुदाई खुले आम करके ट्रैक्टर से पथर क्रेशर में सलार्न की जा रही है। पोड़ी बचरा से लगे वन परिषेत्र लोटाबहा गंगापुर सागरपुर बैमा बड़े सालहीं वन परिषेत्र के जंगलों में बड़े पैमाणे पर अवैध पथर की खुदाई पथर माफियाओं द्वारा खुले आम की जा रही है। जन पर खनिज विभाग वन विभाग के द्वारा इस पथर माफियाओं पर कार्यवाही करने में हाथ पांच फूलने



लगते हैं। वन अमला नाम भर का है किसी तरह से अवैध पथर माफियाओं जंगलों में पहाड़ों के नीचे



जेसीबी लगाकर खुले आम खुदाई की जाती है के बाद भी किसी तरह से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस तरह से अवैध उत्थन से आने वाले जिसका जिम्मेदार वन विभाग होगा। ऐसे में देखा करने का दायित्व है वे खुद ही मुह मोड़े हुए हैं।

नसबंदी के बाद महिला ने बच्चे को दिया जन्म बच्चे के भरण-पोषण के लिए मुआवजे की मांग

- संवाददाता -

लखनपुर, 27 फरवरी

2023 (घट्टी-घट्टा)।

सरगुजा जिला के लखनपुर विकासखंड के ग्राम गोरता में नसबंदी करा चुकी महिला ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया है। मजदूरी का काम करने वाले यह परिवार अब बच्चे के पालन पोषण को चिह्नित है। बच्चे के पालन-पोषण के लिए स्वास्थ्य विभाग से मुआवजे की मांग की है। ग्राम गोरता झुवपारा नियासी ग्रामीण महिला सिनी पति राजेन्द्र रजवाड़े ने बताया कि उनके



बच्चा नहीं चाहते थे। 17 दिसंबर 2021 को इनका जिला चिकित्सालय में नसबंदी अंपरेशन हुआ था फरवरी 2023 में महिला ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया है इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के एमपीजन्यू सिस्टर्स को जानकारी दी जिस पर उन्होंने कहा इस पर अब व्यक्ति कर सकते हैं दोबारा नसबंदी करना पड़े।

सुमित्रा राजवाडे मितानिन

लखनपुर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉर्कटर पीएस मार्कों से संबंध पर बात करने पर उनके द्वारा कहा गया कि सिमी पति कहा गया कि जारी है। शासन के गोड़डाइन के अनुसार जो सहोग होगा महिला को दिया जाएगा।

डॉक्टर पीएस मार्कों खंड चिकित्सा अधिकारी

न्यायालय तहसीलदार नजूल अम्बिकापुर जिला सरगुजा (४०३०)

राजप्र०क्र० /-३०-२०(१)/२०२०-२१

इश्तहार

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ शासन राजस्व प्रबंधन विभाग मंत्रालय नामादी भवन नवा रायपुर अटल नार परिषद क्रमांक एफ 04-07/सात-01/2019 नवा रायपुर अटल नार दिनांक 11/09/2023 के द्वारा जारी निर्देशनुसार ३००० राजस्व पुस्तक परिषद के खण्ड ४(१) एवं ४(२) के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के तहत अवैदक/अवैदिक समग्र सायसवाल ३००० सुशील कुमार निवासी ग्राम नमनाल अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ३००० के द्वारा नार अम्बिकापुर के महलता नमनाल अभिकारा स्थित खसरा नमनाल नामक नामादी भवन नवा रायपुर अटल नार के परिषद क्रमांक एफ 04-07/सात-01/2019 नवा रायपुर अटल नार दिनांक 11/09/2023 के द्वारा जारी निर्देशनुसार ३००० राजस्व पुस्तक परिषद के खण्ड ४(१) एवं ४(२) के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के तहत अवैदक/अवैदिक संगीता नामाल अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ३००० के द्वारा नार अम्बिकापुर के मोहलता नमनाल अभिकारा स्थित खसरा नमनाल नामक नामादी भवन नवा रायपुर अटल नार के परिषद क्रमांक एफ 04-07/सात-01/2019 नवा रायपुर अटल नार दिनांक 11/09/2023 के द्वारा जारी निर्देशनुसार ३००० राजस्व पुस्तक परिषद के खण्ड ४(१) एवं ४(२) के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के तहत अवैदक/अवैदिक संगीता नामाल अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ३००० के द्वारा नार अम्बिकापुर के मोहलता नमनाल अभिकारा स्थित खसरा नमनाल नामक नामादी भवन नवा रायपुर अटल नार के परिषद क्रमांक एफ 04-07/सात-01/2019 नवा रायपुर अटल नार दिनांक 11/09/2023 के द्वारा जारी निर्देशनुसार ३००० राजस्व पुस्तक परिषद के खण्ड ४(१) एवं ४(२) के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के तहत अवैदक/अवैदिक संगीता नामाल अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ३००० के द्वारा नार अम्बिकापुर के मोहलता नमनाल अभिकारा स्थित खसरा नमनाल नामक नामादी भवन नवा रायपुर अटल नार के परिषद क्रमांक एफ 04-07/सात-01/2019 नवा रायपुर अटल नार दिनांक 11/09/2023 के द्वारा जारी निर्देशनुसार ३००० राजस्व पुस्तक परिषद के खण्ड ४(१) एवं ४(२) के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के तहत अवैदक/अवैदिक संगीता नामाल अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ३००० के द्वारा नार अम्बिकापुर के मोहलता नमनाल अभिकारा स्थित खसरा नमनाल नामक नामादी भवन नवा रायपुर अटल नार के परिषद क्रमांक एफ 04-07/सात-01/2019 नवा रायपुर अटल नार दिनांक 11/09/2023 के द्वारा जारी निर्देशनुसार ३००० राजस्व पुस्तक परिषद के खण्ड ४(१) एवं ४(२) के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के तहत अवैदक/अवैदिक संगीता नामाल अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ३००० के द्वारा नार अम्बिकापुर के मोहलता नमनाल अभिकारा स्थित खसरा नमनाल नामक नामादी भवन नवा रायपुर अटल नार के परिषद क्रमांक एफ 04-07/सात-01/2019 नवा रायपुर अटल नार दिनांक 11/09/2023 के द्वारा जारी निर्देशनुसार ३००० राजस्व पुस्तक परिषद के खण्ड ४(१) एवं ४(२) के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के तहत अवैदक/अवैदिक संगीता नामाल अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ३००० के द्वारा नार अम्बिकापुर के मोहलता नमनाल अभिकारा स्थित खसरा नमनाल नामक नामादी भवन नवा रायपुर अटल नार के परिषद क्रमांक एफ 04-07/सात-01/2019 नवा रायपुर अटल नार दिनांक 11/09/2023 के द्वारा जारी निर्देशनुसार ३००० राजस्व पुस्तक परिषद के खण्ड ४(१) एवं ४(२) के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के तहत अवैदक/अवैदिक संगीता नामाल अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ३००० के द्वारा नार अम्बिकापुर के मोहलता नमनाल अभिकारा स्थित खसरा नमनाल नामक नामादी भवन नवा रायपुर अटल नार के परिषद क्रमांक एफ 04-07/सात-01/2019 नवा रायपुर अटल नार दिनांक 11/09/2023 के द्वारा जारी निर्देशनुसार ३००० राजस्व पुस्तक परिषद के खण्ड ४(१) एवं ४(२) के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के तहत अवैदक/अवैदिक संगीता नामाल अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ३००० के द्वारा नार अम्बिकापुर के मोहलता नमनाल अभिकारा स्थित खसरा नमनाल नामक नामादी भवन नवा रायपुर अटल नार के परिषद क्रमांक एफ 04-07/सात-01/2019 नवा रायपुर अटल नार दिनांक 11/09/2023 के द्वारा जारी निर्देशनुसार ३००० राजस्व पुस्तक परिषद के खण्ड ४(१) एवं ४(२) के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के तहत अवैदक/अवैदिक संगीता नामाल अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ३००० के द्वारा नार अम्बिकापुर के मोहलता नमनाल अभिकारा स्थित खसरा नमनाल नामक नामादी भवन नवा रायपुर अटल नार के परिषद क्रमांक एफ 04-07/सात-01/2019 नवा रायपुर अटल नार दिनांक 11/09/2023 के द्वारा जारी निर्देशनुसार ३००० राजस्व पुस्तक परिषद के खण्ड ४(१) एवं ४(२) के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के तहत अवैदक/अवैदिक संगीता नामाल अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ३००० के द्वारा नार अम्बिकापुर के मोहलता नमनाल अभिकारा स्थित खसरा नमनाल नामक नामादी भवन नवा रायपुर अटल नार के परिषद क्रमांक एफ 04-07/सात-01/2019 नवा रायपुर अटल नार दिनांक 11/09/2023 के द्वारा जारी निर्देशनुसार ३००० राजस्व पुस्तक परिषद के खण्ड ४(१) एवं ४(२) के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के तहत अवैदक/अवैदिक संगीता नामाल अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ३००० के द्वारा नार अम्बिकापुर के मोहलता नमनाल अभिकारा स्थित खसरा नमनाल नामक नामादी भवन नवा रायपुर अटल नार के पर

मुख्यमंत्री ने श्यामाचरण
शुक्ल की जयंती पर
उन्हें किया नमन



रायपुर, 27 फरवरी
2023 (ए)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में
अधिविभागित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
पदित श्यामाचरण शुक्ल की जयंती पर
उनके छायाचिन्ह पर एक उपमा अर्पित कर उन्हें
नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के
सलाहकारी श्री विनोद बर्मा, उत्तरप्रदेश के
पूर्व विधायक अजय कुमार ललू और श्री
गुरदीप सिंह सप्लाई भी उपस्थित थे।



देखकर हैरान रह गए लोग

रायपुर, 27 फरवरी
2023 (ए)।

राजधानी में अनुकंपा नियुक्ति की
मांग को लेकर धरने पर बैठी
महिलाओं को लगातार सामनार को
और भड़क गया। एक महिला तो
इतनी नाराज थी कि उसने रोते
हुए मुंडन कर लिया है। उसका
कहना है कि मुझे नौकरी दी जाए।
मेरे पति की मौत के बाद से मैं
प्रदेशन हूं। दरअसल, अनुकंपा
नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले

4 महीने से अनुकंपा नियुक्ति संघ¹
के बैठक तत्त्व महिलाएं प्रदेशन कर
रही हैं। मार अब तक बात नहीं
बनी है।

बूढ़ातालाब धरना स्थल पर²
महिलाओं का प्रदर्शन जारी है।
इसके पहले अलग-अलग धरने से
ये लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी
कड़ी में सामनार को शांति साहू
नाम की महिला ने मुंडन करवा
लिया। उसके पति की अस्थामा
अटैक के बाद हम से मौत हुई है।
महिला बिलाईगढ़ से यहाँ प्रदेशन
करने के लिए आई है। मुंडन

करवाते हुए शांति ने बताया कि
हम यहाँ प्रदेशन हैं। मार कोई
ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी
आवाज सरकार नहीं सुन रही है।
वहाँ संघ की अध्यक्ष माधुरी मृधे
का कहना है कि राज्य सरकार ने
उन आवाज की तरफ अकेले धरने से
ये सभी महिलाएं प्रदेशन
दिया। धरने में बैठी महिलाओं के
यहाँ किसी के पति की मौत हो
और रायपुर में 20 अक्टूबर
2022 से लगातार आंदोलन कर
रही हैं। ये सभी पंचायत रस्ते के
उन शिकायों की पतियां हैं, जिनकी
लेकर हमने चलाने वाला
कोई नहीं है। हम सभी आधिकारी
को बजार से मौत हुई है। इनका
कहना है कि राज्य सरकार ने जिसे
करवाते हुए शांति ने बताया कि
हम यहाँ प्रदेशन हैं। मार कोई
ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी
आवाज सरकार नहीं सुन रही है।
वहाँ संघ की अध्यक्ष माधुरी मृधे
का कहना है कि राज्य सरकार ने
उन आवाज की तरफ अकेले धरने से
ये सभी महिलाएं प्रदेशन
दिया। धरने में बैठी महिलाओं के
यहाँ किसी के पति की मौत हो
और रायपुर में 20 अक्टूबर
2022 से लगातार आंदोलन कर
रही हैं। ये सभी पंचायत रस्ते के
उन शिकायों की पतियां हैं, जिनकी
लेकर हमने चलाने वाला
कोई नहीं है। हम सभी आधिकारी
को बजार से मौत हुई है। इनका
कहना है कि राज्य सरकार ने जिसे

सरकारी नौकरी में कमाने वाले
व्यक्ति की पौत्र के बाद परिवार के
किसी एक सदस्य को अनुकंपा
नियुक्ति का नियम होता है। मार
इहाँ आज तक नौकरी नहीं मिला
है।

इहाँ दिनों से अनुकंपा नियुक्ति संघ

के अलग-अलग जिलों से आई है

और रायपुर में 20 अक्टूबर

2022 से लगातार आंदोलन कर

रही है। ये सभी पंचायत रस्ते के

उन शिकायों की पतियां हैं, जिनकी
लेकर हमने चलाने वाला
कोई नहीं है। हम सभी आधिकारी
को बजार से मौत हुई है। इनका
कहना है कि राज्य सरकार ने जिसे

सरकारी नौकरी में कमाने वाले
व्यक्ति की पौत्र के बाद परिवार के

किसी एक सदस्य को अनुकंपा

नियुक्ति का नियम होता है। मार

इहाँ आज तक नौकरी नहीं मिला

है।

इहाँ दिनों से अनुकंपा नियुक्ति संघ

के अलग-अलग जिलों से आई है

और रायपुर में 20 अक्टूबर

2022 से लगातार आंदोलन कर

रही है। ये सभी पंचायत रस्ते के

उन शिकायों की पतियां हैं, जिनकी
लेकर हमने चलाने वाला
कोई नहीं है। हम सभी आधिकारी
को बजार से मौत हुई है। इनका
कहना है कि राज्य सरकार ने जिसे

सरकारी नौकरी में कमाने वाले
व्यक्ति की पौत्र के बाद परिवार के

किसी एक सदस्य को अनुकंपा

नियुक्ति का नियम होता है। मार

इहाँ आज तक नौकरी नहीं मिला

है।

इहाँ दिनों से अनुकंपा नियुक्ति संघ

के अलग-अलग जिलों से आई है

और रायपुर में 20 अक्टूबर

2022 से लगातार आंदोलन कर

रही है। ये सभी पंचायत रस्ते के

उन शिकायों की पतियां हैं, जिनकी
लेकर हमने चलाने वाला
कोई नहीं है। हम सभी आधिकारी
को बजार से मौत हुई है। इनका
कहना है कि राज्य सरकार ने जिसे

सरकारी नौकरी में कमाने वाले
व्यक्ति की पौत्र के बाद परिवार के

किसी एक सदस्य को अनुकंपा

नियुक्ति का नियम होता है। मार

इहाँ आज तक नौकरी नहीं मिला

है।

इहाँ दिनों से अनुकंपा नियुक्ति संघ

के अलग-अलग जिलों से आई है

और रायपुर में 20 अक्टूबर

2022 से लगातार आंदोलन कर

रही है। ये सभी पंचायत रस्ते के

उन शिकायों की पतियां हैं, जिनकी
लेकर हमने चलाने वाला
कोई नहीं है। हम सभी आधिकारी
को बजार से मौत हुई है। इनका
कहना है कि राज्य सरकार ने जिसे

सरकारी नौकरी में कमाने वाले
व्यक्ति की पौत्र के बाद परिवार के

किसी एक सदस्य को अनुकंपा

नियुक्ति का नियम होता है। मार

इहाँ आज तक नौकरी नहीं मिला

है।

इहाँ दिनों से अनुकंपा नियुक्ति संघ

के अलग-अलग जिलों से आई है

और रायपुर में 20 अक्टूबर

2022 से लगातार आंदोलन कर

रही है। ये सभी पंचायत रस्ते के

उन शिकायों की पतियां हैं, जिनकी
लेकर हमने चलाने वाला
कोई नहीं है। हम सभी आधिकारी
को बजार से मौत हुई है। इनका
कहना है कि राज्य पाल से जिसे

सरकारी नौकरी में कमाने वाले
व्यक्ति की पौत्र के बाद परिवार के

किसी एक सदस्य को अनुकंपा

नियुक्ति का नियम होता है। मार

इहाँ आज तक नौकरी नहीं मिला

है।

इहाँ दिनों से अनुकंपा नियुक्ति संघ

के अलग-अलग जिलों से आई है

और रायपुर में 20 अक्टूबर

2022 से लगातार आंदोलन कर

रही है। ये सभी पंचायत रस्ते के

उन शिकायों की पतियां हैं, जिनकी
लेकर हमने चलाने वाला
कोई नहीं है। हम सभी आधिकारी
को बजार से मौत हुई है। इनका
कहना है कि राज्य पाल से जिसे

सरकारी नौकरी में कमाने वाले
व्यक्ति की पौत्र के बाद परिवार के

किसी एक सदस्य को अनुकंपा

नियुक्ति का नियम होता है। मार

इहाँ आज तक नौकरी नहीं मिला

है।

इहाँ दिनों से अनुकंपा नियुक्ति संघ

के अलग-अलग जिलों से आई है

और रायपुर में 20 अक्टूबर

2022 से लगातार आंदोलन कर

रही है। ये सभी पंचायत रस्ते के